



रेलवे के संपर्क में आए बच्चों की
देखभाल और उनका संरक्षण
सुनिश्चित करने हेतु
रेलवे के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया

**Standard Operating Procedure (SOP)
For Railways to ensure
Care and
Protection of Children
in Contact with Railways**

रेल मंत्रालय
Ministry of Railways
भारत सरकार
Government of India
2015



स्नेह, शिक्षा,
स्वास्थ्य और सुरक्षा
करो बालपन की रक्षा

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS

रेलवे के संपर्क में आए बच्चों की
देखभाल और उनका संरक्षण
सुनिश्चित करने हेतु
रेलवे के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया

**Standard Operating Procedure (SOP)
For Railways to ensure
Care and
Protection of Children
in Contact with Railways**

रेल मंत्रालय

Ministry of Railways

भारत सरकार
Government of India

2015

रेलवे के संपर्क में आये बच्चों की देखरेख और उनका संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु रेलवे के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस. ओ. पी.)

उपर्युक्त के संदर्भ में, तथा खुशबू जैन बनाम भारत संघ के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, दिनांक 11 दिसम्बर 2013 के पत्र द्वारा अनुदेश जारी किए गए थे। तत्पश्चात् इस विषय पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 15.12.2014 तथा 30.01.2015 को चर्चा भी की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 23 फरवरी 2015 के माध्यम से एस.ओ.पी. का संशोधित मसौदा प्राप्त हुआ था जिसमें कतिपय परिवर्तनों के सुझाव दिए गए थे। इन संशोधनों के अनुरूप, इस मामले की समीक्षा की गई थी तथा "रेलवे के संपर्क में आये बच्चों" की बेहतर देखरेख और संरक्षण के लिए किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 तथा संबंधित नियमों के अनुरूप संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया एतद्वारा जारी की जा रही है। समस्त क्षेत्रीय स्थापनाओं द्वारा इसे बेहतर रूप से समझ लिए जाने के प्रयोजनार्थ इसे तीन भागों में जारी किया जा रहा है :

क. पृष्ठभूमि

ख. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेश

ग. अनुदेशों का प्रचालनात्मक भाग जिसे रेलवे/आर.पी.एफ./जी.आर.पी. द्वारा संकलित किया जाना है।

क. पृष्ठभूमि

1. "रेलवे के संपर्क में आए बच्चे" :

रेलवे को मिले बच्चे (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बच्चे" कहा गया है), ऐसे बच्चे हैं जिन्हें किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 2 (घ) में परिभाषित किया गया है तथा जिन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता होती है और इनमें शामिल हैं रेल में यात्रा करने वाले या रेलवे परिसरों के किसी भी भाग में अथवा रेल या रेल पटरियों पर रहने वाले, काम करने वाले या विधि के संघर्ष में आए बालक।

2. बाल कल्याण समितियां (सी.डब्ल्यू.सी.):

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेलवे को मिले बच्चों की देखरेख और संरक्षण पर अपने उपर्युक्त निर्देशों में उल्लेख किया है कि किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 29, राज्य सरकारों को एक या अधिक बाल कल्याण समितियां (सी.डब्ल्यू.सी.) गठित करने का निदेश देती हैं जो "देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता" वाले बालकों के संदर्भ में इन समितियों को सौंपी जाने वाली शक्तियों का प्रयोग करेंगी तथा दिए जाने वाले कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। ऐसी समितियों के पास रेलवे को मिले बच्चों सहित ऐसे समस्त बच्चों की सुरक्षा, देखरेख और पुनर्वास के लिए इन बच्चों से संबंधित अधिनियम के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियों का अनन्य रूप से निपटान करने की शक्ति भी होगी।

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) FOR RAILWAYS TO ENSURE CARE AND PROTECTION OF CHILDREN IN CONTACT WITH RAILWAYS

In reference to the above, and in follow up of the directions of the High Court of Delhi in the case of Khusboo Jain Vs Union of India, instructions were issued vide letter dated 11.12.2013. The subject was subsequently discussed in the Ministry of Women and Child Development (MWCD) on 15.12.2014 and 30.01.2015. A revised draft SOP suggesting certain modification was received vide MWCD letter dated 23.02.2015. In keeping with this, the matter has been reviewed and, a revised Standard Operating Procedure is hereby issued in accordance with the Juvenile Justice, Act (Care & Protection Act) 2000 and the related rules, for better care and protection of the "child in contact with railways". For better appreciation in all field formations, it is issued in three parts:

- A: Background
- B: Directions of Hon'ble High Court Delhi
- C: Operative part of instructions to be complied with by Railway/RPF/GRP

A: Background

1. "Child in Contact with Railways":

The child in contact with the railways, (hereinafter referred to as "Child"), is a child as defined in section 2(d) of the Juvenile Justice Act (Care & Protection Act) 2000 as requiring care and protection and also includes any child travelling, living, working or in conflict with law, on any part of the railway premises or in any train or railway vehicle.

2. Child Welfare Committees (CWC):

The Delhi High Court in its aforesaid directions on the care and protection of the child in contact with the railways has pointed out that that Section 29 of the Juvenile Justice Act (Care & Protection Act) 2000 mandates the State Government to constitute one or more Child Welfare Committees (CWC) for exercising the powers and discharging the duties conferred on such committees in relation to "children in need of care and protection". Such Committee shall have the power to deal exclusively with all proceedings under the Act relating to such children for the safety, care and rehabilitation of such children, including on the railways.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

3. किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के प्रासंगिक उपबंध :

- (क). धारा 32 (1) उपबंध करती है कि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले प्रत्येक बालक को निम्नलिखित में से किसी एक व्यक्ति द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- (i) कोई पुलिस अधिकारी अथवा विशेष किशोर पुलिस एकक अथवा अभिहित पुलिस अधिकारी।
 - (ii) कोई सरकारी सेवक।
 - (iii) चाइल्डलाइन, कोई पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन अथवा कोई ऐसा अन्य स्वैच्छिक संगठन या कोई एजेंसी जिसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाए।
 - (iv) कोई सामाजिक कार्यकर्ता या लोगों के कल्याण की भावना रखने वाला कोई नागरिक।
 - (v) स्वयं बच्चे के द्वारा ही।

परंतु यह कि बच्चे को बिना कोई समय नष्ट किए 24 घंटे के भीतर सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं होगा।

- (ख) राज्य सरकार समिति को सूचित करने की रीति तथा जांच के लंबित रहने के दौरान बच्चे को उसके घर भेजने और परिजनों को सौंपने की रीति के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी।
- (ग) जैसाकि उपर्युक्त नियमों के नियम 27(4) में उपबंध किया गया है, यदि समिति की बैठक नहीं हो रही है, तो बच्चे को ऐसे समय तक, जब तक कि उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यथास्थिति, उसके माता-पिता या अभिभावक या उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त संस्था की सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए अधिनियम की धारा 30 (2) के उपबंधों के अनुसार समिति के एक सदस्य के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- (घ) जैसाकि उपर्युक्त नियमों के उप-नियम (5) में उपबंध किया गया है, यदि वह एक सदस्य भी पहुंच योग्य नहीं है अथवा समय सुविधाजनक नहीं है, तो बच्चे को किसी गैर-सरकारी संगठन अथवा चाइल्डलाइन अथवा पुलिस द्वारा अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के लिए पंजीकृत किसी उपयुक्त संस्था के पास समस्त दस्तावेजों के साथ ले जाया जाएगा तथा उसे ऐसी संस्था में समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने तक रखा जाएगा।
- (ङ) अधिनियम की धारा 33(1) उपबंध करती है कि सी.डब्ल्यू.सी. के पास देखरेख और संरक्षा की आवश्यकता वाले किसी भी बच्चे को उसके माता-पिता, दत्तक अभिभावकों, संरक्षक अभिभावकों, अभिभावकों अथवा किसी उपयुक्त संस्था को सौंपने तथा उन्हें उपयुक्त निदेश देने का अधिकार होगा।
- (च) अधिनियम की धारा 29 के अनुसार राज्य सरकार किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में ऐसी समिति को सौंपे जाने वाली शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक या अधिक बाल कल्याण समितियों का गठन कर सकेगी।

3. Relevant Provisions of Juvenile Justice Act (Care & Protection Act) 2000:

- (a). Section 32(1) provides that any child in need of care and protection may be produced before the Committee by one of the following persons:-
- (i). any police officer or special juvenile police unit or a designated police officer;
 - (ii). any public servant
 - (iii). childline, a registered voluntary organisation or any such other voluntary organisation or an agency as may be recognized by the State Government.
 - (iv). any social worker or a public spirited citizen; or
 - (v). by the child himself.

Provided that the child shall be produced before the CWC without any loss of time but within 24 hours excluding the time necessary for the journey.

- (b). The State Government may make rules consistent with this Act for the manner of making the report to the Committee and the manner of sending and entrusting the child to children's home pending the inquiry".
- (c). As provided in Rule 27(4) of the aforesaid Rule in case the Committee is not sitting, the child may be produced before the single member of the Committee as per the provisions of Section 30 (2) of the Act for being placed in safe custody of parent or guardian or fit person or fit institutions, as the case may be, till such time that the child can be produced before the Committee.
- (d). As provided in sub-section (5) of the aforesaid Rule, in case the single member is also not accessible, or the hours are odd, the child shall be taken by a non-governmental organization or Childline or Police to an appropriate institution for children registered under the Act with all the necessary documents, and placed in such institution till the time of production before the Committee.
- (e). Section 33 (1) of the Act provides that the CWC shall have the powers to restore any child in need of care and protection to its parents, adopted parents, foster parents, guardian or fit institution and give them suitable directions.
- (f). Section 29 of the Act The State Government may, (within a period of one year from the date of commencement of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2006, by notification in the Official Gazette, constitute for every district), one or more Child Welfare Committees for exercising the powers and discharge the duties conferred on such Committees in relation to child in need of care and protection under this Act.

S. Prakash *Rajiv Singh* *[Signature]* *Neha*

ख. रिट याचिका संख्या 5365 / 2012 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों का प्रचालनात्मक भाग :

- (i) "जैसे ही कोई बच्चा किसी रेलवे प्लेटफार्म पर बैठा हुआ मिलता है, आर.पी.एफ., जी.आर.पी./स्टेशन मास्टर बच्चे से उसका नाम, पता, उसके माता-पिता/अभिभावकों/संबंधियों के अन्य विवरण प्राप्त करने का प्रयास करेगा और संबंधित स्टेशन मास्टर उस रेलवे स्टेशन की सार्वजनिक संबोधन प्रणाली पर उस स्थान पर पाए गए बच्चे के बारे में उद्घोषणा कराने की व्यवस्था करेगा और स्थानीय पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी को तथा साथ ही बच्चे के माता-पिता/अभिभावक/ संबंधियों को रेलवे स्टेशन पर पाए गये उस बच्चे के बारे में सूचित करेगा। ऐसी सूचना की एक प्रति उस स्थान के क्षेत्राधार में आने वाले पुलिस स्टेशन को भी भेजी जाएगी, जहां बच्चे के माता-पिता/अभिभावक/संबंधी रहते हैं जिसमें बच्चे के माता-पिता/अभिभावक/संबंधियों का पता लगाने का प्रयास करने का तथा उन्हें रेलवे स्टेशन पर पाए गए बच्चे के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया जाएगा।
- (ii) जो बच्चे रेलवे स्टेशनों पर पहुंच जाते हैं और वहीं रहते हैं, उन्हें आर.पी.एफ., जी.आर.पी. अथवा रेलवे के कर्मचारियों द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत यथाशीघ्र और हर हालत में ऐसे बालक के रेलवे स्टेशन पर पाए जाने के 24 घंटों के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- (iii) समिति के सदस्यों के पते और टेलीफोन नंबर रेलवे स्टेशन पर साफ तौर पर प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि बच्चे के माता-पिता/अभिभावक/संबंधी उस सूचना के साथ समिति के पास जा सकें कि उनके उस बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जो रेलवे स्टेशन पहुंच गया था और वहीं रह रहा था।
- (iv) प्रत्येक स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर एक ऐसे रजिस्टर का रख-रखाव करेगा जिसमें यह रेलवे स्टेशन पहुंच गए और वहीं रह रहे बच्चों के विवरणों को दर्ज करेगा जिनमें उन बच्चों के नाम, उनके माता-पिता का नाम, उनकी आयु और पते भी शामिल हैं। यह ऐसे बच्चे की फोटो भी लेगा तथा उस फोटो को उसके नाम के आगे रखेगा ताकि उसके माता-पिता बिना किसी कठिनाई के अपने बच्चे की पहचान कर लें और उसका पता लगा लें।
- (v) इस आदेश के निबंधनों के अनुसार बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने तक, वह आर.पी.एफ., जी.आर.पी./स्टेशन मास्टर की सुरक्षित अभिरक्षा में रहेगा तथा उसे भोजन सहित पर्याप्त देखरेख प्रदान की जाएगी और उसका पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा।
- (vi) यदि स्टेशन पर पहुंचा तथा वहां रह रहा बच्चा लड़की है, तो इस आदेश के निबंधनों के अनुसार उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने तक, उसे आर.पी.एफ., जी.आर.पी./रेलवे की किसी जिम्मेदार महिला कर्मी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।

**B: Operative part of directions of Hon'ble High Court of Delhi in Writ
Petition No. 5365/2012**

- (i) "As soon as a child is found sitting at a Railway Station, RPF, GRP/Station Master shall try to obtain name, address and other particulars of his parents/guardian/ relatives from the child, the concerned Station Master shall make announcement on the public address system of the railway station with respect to the child found there and inform the local police station/ police post as well as the parents/guardian/relatives of the child about his/her being found at the Railway Station. A copy of such intimation shall forthwith be sent to the Police Station in jurisdiction of which the parents/ guardian/ relative of the child live, with a request to locate the parents/guardian/relatives of the child and inform him/her about the child having been found at the Railway Station.
- (ii) The children who arrive and stay at Railway Stations shall be produced by RPF, GRP or Railway employees before the Child Welfare Committee constituted under the aforesaid Act, at the earliest possible and in any case within 24 hours of such a child being found at a Railway station.
- (iii) The address and telephone numbers of the Committee shall be prominently displayed on the Railway Station, so as to enable the parents/ guardian/ relative of the child to approach the Committee alongwith the information that the children who arrive and stay at the Railway Station, are produced before the Committee.
- (iv) Every Station Superintendent/Station Master shall maintain a register in which he shall record the particulars including name, parents name, age and address of the children who arrive and stay at his Railway Station. He shall also get such a child photographed and place his photograph in the aforesaid Register, against his name, so that his/ her parents are able to identify and locate him/her without any difficulty.
- (v) Till the child is produced before the Committee in terms of this order, he shall remain in safe custody of the RPF, GRP/Station Masters and shall be given adequate care and attention including meals.
- (vi) If a child arriving and staying at a Railway Station is a girl, till the time she is produced before the Committee in terms of this order, she shall be kept in the safe custody of a responsible female member of RPF, GRP/Railways.

gornshank

Reg. - 4.12

[Signature]

Neharwal

- (vii) प्रत्येक स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तथा वहां रह रहे लडकों और लडकियों के लिए अलग-अलग उपयुक्त स्थान उस समय तक उपलब्ध कराएगा जब तक कि उन्हें इस आदेश के निबंधनों के अनुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता।
- (viii) यदि बाल कल्याण समिति की बैठक नहीं हो रही है, तो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2007 के नियम 27 (4) के निबंधनों के अनुसार बच्चे को समिति के किसी एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और यदि एक भी सदस्य उपलब्ध नहीं है अथवा बच्चे को किसी असुविधाजनक समय पर पाया गया है, तो उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने तक उपर्युक्त नियमों के नियम 27 के अनुरूप सुरक्षित रखा जाएगा।
- (ix) बच्चे के साथ पाई गई वस्तुओं, यदि कोई है, को ऐसी वस्तुओं की सूची तैयार किये जाने के उपरांत स्टेशन मास्टर की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा तथा उन वस्तुओं को बच्चे के साथ समिति को अग्रेषित किया जाएगा। इस निदेश के निबंधनों के अनुसार तैयार किए जाने वाले रजिस्टर में उस बच्चे के नाम के सामने उस सूची की एक प्रति रखी जाएगी।
- (x) ऐसे बच्चों के संबंध में समस्त जानकारी, जिसमें उनका फोटोग्राफ भी शामिल होगा, जो उस सीमा तक होगी कि ऐसे विवरणों और/अथवा फोटोग्राफों का प्रकाशन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन प्रतिषिद्ध नहीं है तथा साथ ही उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के संबंध में सूचना एक पहुंचयोग्य प्रपत्र में भारतीय रेल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ऐसे बच्चों के माता-पिता उनकी पहचान करने और उनकी अभिरक्षा प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।
- (xi) प्रतिवादी इस आदेश के निबंधनों के अनुसार ऐसे बच्चों के संबंध में भारतीय रेल की वेबसाइट पर सूचना की उपलब्धता के संबंध में प्रयुक्त अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के समाचारपत्रों में पर्याप्त प्रचार करेगा।”

ग. रेलवे/आर.पी.एफ./जी.आर.पी. द्वारा संकलित किए जाने वाले प्रचालनात्मक अनुदेश :

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, रेलवे को मिले बच्चों की बेहतर देखरेख और संरक्षण के लिए निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जा रहे हैं :-

1. बाल सहायता समूह (सी.एच.जी.) :

- 1.1. रेलवे को मिले बच्चों की देखरेख और उनके संरक्षण के लिए, 20 प्रमुख स्टेशनों पर संलग्नक-I के अनुसार बाल सहायता समूह (सी.एच.जी.) स्थापित किए जाएंगे।
- 1.2. सी.एच.जी. में स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर, एस.एच.ओ. (जी.आर.पी.), निरीक्षक (आर.पी.एफ) तथा एस.एस.ई. (कार्य) शामिल होंगे। स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर सी.एच.जी. के संयोजक होंगे तथा वे अपेक्षित होने पर सी.एच.जी. की बैठकों का आयोजन करेंगे।

- (vii) Every Station Master shall provide appropriate separate space for male and female children arriving and staying at his railway station, till they are produced before the Committee in terms of this order.
- (viii) If the Child Welfare Committee is not sitting, the child shall be produced before the single member of the Committee in terms of Rule 27(4) of The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2007 and in case the single member is also not accessible or the child is found at odd hours, he/she shall be dealt with in term of Rule 27 of the aforesaid Rules till the time of production before the Committee.
- (ix) The articles, if any, found with the child shall be kept in safe custody of the Station Master after preparing inventory of such articles and those articles shall be forwarded to the Committee along with the child. A copy of the inventory shall be placed in the register to be maintained in terms of this direction, against the name of child in question.
- (x) The whole of the information in respect of such children, including their photographs, to the extent publication of such particulars and/or photographs is not prohibited under the provisions of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 or any other law for the time being in force, along with information relating to his/her being produced before the Child Welfare Committee, shall be made available on the website of Indian Railways, in a reachable format, so that the parents/guardian of Such children are able to identify them and seek their custody
- (xi) The respondents shall give wide publicity in leading English and vernacular newspapers, with respect to the availability of the information, on the website of Indian Railways, in respect of such children, in terms of this order."

C: Operative Instructions to be complied with by Railway/RPF/GRP

In view of the above, for better care & protection of the Child in contact with the Railways, the following instructions are issued:-

1. Child Help Group (CHG):

- 1.1. For the care and protection of the child on the Railways, Child Help Groups (CHG) will be established on 20 major stations list as per Annexure-I.
- 1.2. The CHG will comprise of Station Superintendent/Station Master, the SHO (GRP), Inspector(RPF) and SSE(works). Station Superintendent/ Station Master will be the convener of the CHG and will convene the CHG meeting as and when required.

[Handwritten signatures]

2. बाल सहायता समूह के कर्तव्य :

- 2.1. बाल सहायता समूह यह सुनिश्चित करेगा कि इस एस.ओ.पी. के माध्यम से दिए गए अनुदेशों का पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है।
- 2.2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उस एन.जी.ओ. की पहचान करेगा और उसे नामनिर्दिष्ट करेगा जो चयनित स्टेशनों पर रेलवे को मिले बच्चों से संबंधित सभी मामलों में सहायता उपलब्ध कराएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट चाइल्डलाइन/एन.जी.ओ. के कार्मिकों द्वारा बाल सहायता डेस्क का संचालन चौबीसों घंटे किया जाएगा।
- 2.3. यह स्टेशनों पर बालक देखरेख और संरक्षण के क्रियाकलापों की समीक्षा करेगा और उनका अनुश्रवण करेगा। यह बच्चे को सी.डब्ल्यू.सी. को सौंपे जाने तक के समय के दौरान स्टेशन पर बच्चे के बेहतर संरक्षण के लिए सी.डब्ल्यू.सी./ चाइल्डलाइन/प्रतिष्ठित एन.जी.ओ. से परामर्श प्राप्त करेगा।
- 2.4. संलग्नक-II पर दिए गए फार्म-II में एक मासिक समीक्षा रिपोर्ट ए.डी.आर.एम. को प्रस्तुत की जाएगी।

3. स्टेशन पर बाल हैल्प डेस्क/किऑस्क/बूथ :

- 3.1. उपर्युक्त पैरा ग (1)(1.1) के अनुसार चयनित स्टेशनों पर रेलवे बाल हैल्प डेस्क/किऑस्क/बूथ की स्थापना करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/राज्य सरकार के बाल कल्याण विभाग को 6X6 फुट का स्थान उपलब्ध कराएगा। यह स्थान नि:शुल्क होगा तथा उस समय तक प्रवृत्त रहेगा जो रेल मंत्रालय तथा केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट किया जाएगा।
- 3.2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्टेशन पर बाल हैल्प डेस्क/किऑस्क में उसकी लागत पर बाल हैल्पलाइन 1098 पर कॉल करने के लिए टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- 3.3. बाल हैल्प डेस्क/किऑस्क पर तथा साथ ही अभिहित एन.जी.ओ. के ड्यूटी पर तैनात कर्मियों द्वारा पाए गए बच्चों को स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों में नि:शुल्क शौचालय सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

4. रेलगाड़ियों/रेलवे परिसरों में पाए गए बच्चों की देखरेख करने के लिए प्रक्रिया :

- 4.1. जब कभी आर.पी.एफ., जी.आर.पी./रेलवे कर्मचारी या किसी अन्य सरकारी सेवक या जनता के हितैषी नागरिक द्वारा रेलवे परिसरों अथवा रेलगाड़ी में कोई बच्चा पाया जाता है, तो उसे बच्चे की सहायता के लिए आगे आना चाहिए और उसे स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के पास ले जाना चाहिए। जब कभी, रेलगाड़ी में कोई बच्चा पाया जाता है, तो टी.टी.ई./टी.सी./आर.पी.एफ./जी.आर.पी. अथवा उसे पाने वाले व्यक्ति द्वारा उसे तब तक अस्थायी तौर पर देखरेख प्रदान करनी चाहिए, जब तक कि अगले प्रमुख स्टेशन पर ऊपर उल्लिखित पैरा ग (1)(1.1) के अनुसार बाल देखरेख सुविधा उपलब्ध न हो। इसके अलावा, स्टेशन मास्टर रेलगाड़ी के प्लेटफार्म पर आने पर बच्चे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आर.पी.एफ./जी.आर.पी. को इस संबंध में सूचित करेगा।

2. Duties of Child Help Group:

- 2.1. The Child Help Group will ensure that the instructions given vide this SOP is implemented in letter and spirit
- 2.2. Ministry of Women and Child Development will identify and nominate the NGO who will facilitate all matters pertaining to the child in contact with the Railways at selected stations. The manning the Child Help Desk shall be done around the clock by staff of Childline/ NGO nominated by Ministry of Women and Child Development.
- 2.3. It will review and monitor the Child care and protection activities at the station. It may seek at the station advice from C WC/ Child Line/ Reputed NGO for better protection of children at the time child is handed over to CWC.
- 2.4. A monthly review report will be submitted to ADRM in the given Form-II on Annexure-II.

3. Child Help Desk/Kiosk/Booth at the Station:

- 3.1 At the selected stations as per para C(1)(1.1) above, the Railways will provide space of 6x6 feet for setting up of a Child Help Kiosk/Help Desk to the Ministry of Women and Child Development/ Child Welfare Department of the State Government. This will be free of cost and shall remain in force till the time specified in MoU to be signed between Ministry of Railways and Ministry of Women and Child Development centrally.
- 3.2. A telephone facility to call Child help line 1098 at the Station will be provided by the Ministry of Women and Child Development at Child help Desk/ Kiosk at their cost.
- 3.3. The toilet facilities in the waiting rooms at stations will be made available free of cost to the rescued child at the kiosk/Help Desk and also on duty staff of nominated NGO.

4. Procedure for taking care of the child found on Train/ Railway premises:

- 4.1. Whenever a child is found on the railway premises or train by RPF, GRP/ Railway employee or other public servant or public spirited citizen, he/she may come to the aid of the child and bring him/her to the Station Master/ Station Superintendent. Whenever, the Child is found on a train, the TTE/TC/GRP/RPF or the rescuer shall provide temporary transit care and protection till the next scheduled major station with Childcare facility as per para C(1)(1.1) above. Further, the SM will apprise the RPF/GRP for securing the child on arrival of the train on the platform.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 4.2. स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक एक रजिस्टर में बच्चे के विवरण, और उस व्यक्ति के विवरण दर्ज करेगा जो उस बच्चे को लेकर आया है जिसमें उसका नाम, पता, पहचान-पत्र संख्या और फोन नंबर भी शामिल होगा, जिसका अनुरक्षण इस प्रयोजनार्थ स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक द्वारा किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पाए गए बच्चे के विवरण आर.पी.एफ. को भी संप्रेषित किए जाएं जो इसके उपरांत यह सुनिश्चित करेगा कि उसका आगे संप्रेषण उस स्थानीय पुलिस स्टेशन को कर दिया गया है जहां उस बच्चे के माता-पिता/अभिभावक/रिश्तेदार रहते हैं तथा साथ ही इसकी सूचना आर.पी.एफ. हैल्पलाइन को भी दे दी गई है।
- 4.3. स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि निम्न का अनुरक्षण करेगा :
- (क). बाल कल्याण समिति के सदस्यों के नाम, पते और फोन नम्बर।
- (ख). गैर-सरकारी संगठनों, चाइल्डलाइन और बाल संस्थाओं, बाल विभाग वाले निकटतम अस्पतालों, अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निकटतम राज्य सरकार के बाल-गृहों की सूची जिसमें उनके पते और संपर्क नम्बर भी शामिल होंगे।
- (ग). अधिनियम की धारा 32 (1)(झ) के अनुसार अधिसूचित पुलिस अधिकारी अथवा विशेष किशोर पुलिस इकाई अथवा अभिहित पुलिस अधिकारी का नाम।
- (घ). सी.डब्ल्यू.सी. और जे.जे.बी. के आपातकालीन संपर्क नम्बर तथा साथ ही स्टेशन पर उनकी अधिकारिता, जी.आर.पी./स्थानीय पुलिस/आर.पी.एफ. के बाल विकास अधिकारी, बाल विभाग रखने वाले निकटतम अस्पताल, निकटतम राज्य सरकार के बाल-गृहों, आदि के भी आपातकालीन संपर्क नम्बर, स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक तथा अन्य रेलवे कर्मचारियों के पास उपलब्ध होने चाहिए।
- 4.4. स्टेशन मास्टर को स्टेशन अग्रदाय राशि का प्रयोग बच्चे को भोजन उपलब्ध कराने, आर.पी.एफ. द्वारा बच्चे का फोटोग्राफ लेने, चिकित्सा व्यय की पूर्ति करने, यदि कोई है, एन.जी.ओ. के माध्यम से आर.पी.एफ. द्वारा बच्चे को सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष बालक सहायता डेस्क/किऑस्क पर प्रस्तुत करने तथा विविध आकस्मिक व्ययों की पूर्ति करने के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। उसे आर.पी.एफ. की सहायता से बच्चे का फोटोग्राफ लेना चाहिए और उस फोटोग्राफ को ऊपर उल्लिखित रजिस्टर में बच्चे के नाम के आगे लगा देना चाहिए ताकि उसके माता-पिता बिना किसी कठिनाई के उसे पहचानने और उसका पता लगाने में समर्थ हो सकें।
- 4.5. स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक द्वारा बच्चे के विवरणों को दर्ज करने की औपचारिकता के पूर्ण होने पर बच्चे को आर.पी.एफ. को सौंप दिया जाना चाहिए जो इस एस.ओ.पी. के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा और बाल सहायता डेस्क/किऑस्क पर बच्चे को अभिहित एन.जी.ओ. को सौंप देगा, जो तत्पश्चात् बिना कोई विलम्ब किए बच्चे को सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष प्रस्तुत करेगा। बच्चे के बाल सहायता डेस्क/किऑस्क पर ही रहने के दौरान, आर.पी.एफ. यह सुनिश्चित करेगा कि वह एन.जी.ओ. की सुरक्षित अभिरक्षा में है।

-
- 4.2. The SM/SS shall record the details of child, the person who brought the child, including his/her name, address, identity card number and phone number in the Register to be maintained by the Station Master/ Station Superintendent for this purpose. He shall ensure the details of the rescued child is conveyed to RPF who will in turn ensure that it is conveyed to local police station in which the parents/ guardian/ relative of the Child lives and the RPF Help Line.
- 4.3. The Station Master/ Station Superintendent or his authorized representative shall maintain:
- (a). Name, Address and phone numbers of the Child Welfare Committee(s).
 - (b). List of non-governmental organizations, Child line and Institution for children, nearest hospital with pediatric department, nearest state government children's home registered under the Act along with their address and contact numbers.
 - (c). Name of the Police officer or special juvenile police unit or a designated police officer notified as per Section 32(1)(i) of the Act.
 - (d). Emergency contact numbers of the CWC and the JJB with jurisdiction over the station, Child Welfare Officers of the of GRP/Local Police/ RPF, nearest hospital with pediatric department, nearest state government children's home, etc should be available with the SM/SS and other railway officials.
- 4.4. The Station master will be permitted to use the station imprest for providing meals, taking photographs of the child by RPF, meeting medical expenses, if any and production of Child to CWC by RPF through NGO at Child Help Desk/ Kiosk and towards sundry incidental expenses. He should also get the Child photographed with assistance of RPF and place his photograph in the aforesaid Register, against his name, so that his/ her parents are able to identify and locate him/her without any difficulty.
- 4.5. Once the formality of recording the details of the Child by SS/SM is completed the child would be handed over to RPF who in turn will take necessary action as per this SOP and hand over the Child to the nominated NGO at the Child Help Desk/ Kiosk, who will then produce the child before the CWC without delay. Till such time the child regains at the Child Help Desk/ Kiosk, RPF will ensure that he is in safe custody of NGO.

S. S. S. S. *Rajiv Singh* *R. S.* *R. S.*

- 4.6. यदि पाया गया बच्चा एक बालिका है, तो आर.पी.एफ. की कोई महिला कांस्टेबल उसे सुरक्षा प्रदान करेगी। महिला आर.पी.एफ. कांस्टेबल की अनुपस्थिति में, आर.पी.एफ. किसी महिला जी.आर.पी. कांस्टेबल अथवा किसी महिला रेलवे कर्मचारी की सहायता ले सकता है।
- 4.7. बच्चे के पास पाई गई वस्तुओं, यदि कोई हैं, की स्टेशन मास्टर द्वारा सूची तैयार की जाएगी और उस सूची को रजिस्टर में रखा जाएगा तथा उन वस्तुओं को आर.पी.एफ. की सुरक्षित अभिरक्षा में लिया जाएगा और उन वस्तुओं को बच्चे के साथ ही सी.डब्ल्यू.सी. को अग्रेषित किया जाएगा। वस्तु-सूची की एक प्रति स्टेशन मास्टर द्वारा इस निदेश के निबंधनों के अनुसार अनुरक्षित किए जाने वाले रजिस्टर में उस बच्चे के नाम के सामने रखी जाएगी।
- 4.8. स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, आवश्यकता होने पर बच्चे के बारे में सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से समय-समय पर घोषणाएं भी कराएगा।
- 4.9. स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक द्वारा अपने रिकार्ड/रजिस्टर में पाए गए बच्चे के बारे में जानकारी विस्तारपूर्वक होनी चाहिए तथा उसे संलग्नक-II में दिए गए फार्म-I के प्रपत्र में होना चाहिए। स्टेशन मास्टर तथा आर.पी.एफ. द्वारा इसका प्रयोग उस बच्चे के माता-पिता को ढूँढने तथा उसे उन तक पहुंचाने के लिए रेलवे की वेबसाइट और आर.पी.एफ. हैल्पलाइनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिए किया जाना चाहिए।

5. एस.एच.ओ./जी.आर.पी. तथा निरीक्षक/आर.पी.एफ. के उत्तरदायित्व :

- 5.1. जी.आर.पी. का एस.एच.ओ. तथा निरीक्षक (आर.पी.एफ.) अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में इस एस.ओ.पी. में विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी होंगे।
- 5.2. स्टेशनों पर सामान्य बैठकों के दौरान बच्चों की सुरक्षा के मुद्दों पर जी.आर.पी./आर.पी.एफ. के कार्मिकों को यथावश्यक जानकारी प्रदान करना।
- 5.3. हितधारकों के मध्य जागरूकता का सृजन करना।
- 5.4. प्लेटफार्मों पर बाल संरक्षण उपाय सुनिश्चित करना।
- 5.5. बाल सहायता डेस्क पर बच्चे को एन.जी.ओ. को सौंपना तथा उसके उपरांत उसे आवश्यकता होने पर सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष प्रस्तुत करना।
- 5.6. किशोर-न्याय (संशोधन) अधिनियम 2006 के अंतर्गत एस.जे.पी.यू. (स्टेशन किशोर संरक्षण एकक) की यथालागू भूमिका का निर्वहन करना।
- 5.7. निरीक्षक/आर.पी.एफ. स्टेशनों/प्लेटफार्मों, याडों आदि पर बच्चों की निगरानी/पहचान करने के लिए चौबीसों घंटे सी.सी.टी.वी. निगरानी नेटवर्क को देखने के लिए नामनिर्दिष्ट एन.जी.ओ. को पहुंच प्रदान करेगा। आर.पी.एफ. आवश्यकता होने पर, बच्चे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी संभव सहायता प्रदान करेगा।

- 4.6. In case the rescued child is a girl, woman constable of RPF will provide security. In the absence of women RPF constable, RPF can take the help of women GRP constable or a Railway woman employee.
- 4.7. The articles, if any, found with the child shall be listed by SM and list kept in register and articles kept in safe custody of the RPF and those articles shall be forwarded to the CWC along with the child. A copy of the inventory shall be placed in the register with the SM to be maintained in terms of this direction, against the name of child in question.
- 4.8. SM/SS should make periodic announcements over the public address system regarding the Child, whenever required.
- 4.9. The information regarding the rescued children to be maintained by SM/SS in their record/register should be in detail and as per format given in Form -I on Annexure-II. It shall be made use by SM and RPF for purpose of publicity through the railway websites and RPF Help Lines to trace and restore the Child to parents.

5. Responsibilities of SHO/GRP and Inspector/RPF:

- 5.1. The SHO of the GRP and Inspector (RPF) shall be responsible for actions specified in this SOP in their respective domains.
- 5.2. Briefing of GRP/RPF personnel on child protection issues, during routine meetings at the stations.
- 5.3. Creating awareness among stakeholders.
- 5.4. Ensuring child protection measures at the platforms.
- 5.5. Ensuring production of the Child to the NGO at Child Help Desk and subsequently to CWC, if necessary.
- 5.6. Discharging the role under the JJ Act amended 2006 for SJPU (Station Juvenile Protection Unit) as applicable.
- 5.7. The Inspector/RPF will provide access to the nominated NGO to view the CCTV surveillance network round the clock, for monitoring/ identifying Child at station/platforms, yard etc. RPF will render all possible assistance in securing the child, when required.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6. जी.आर.पी./आर.पी.एफ. ट्रेन सुरक्षा कार्मिकों के कर्तव्य :

- 6.1. किसी व्यस्क सदस्य के साथ अथवा उसके बिना यात्रा कर रहे संदिग्ध बच्चे/बच्चों के समूह पर कड़ी निगरानी रखना तथा यदि ऐसे बच्चों को अवैध व्यापार किया जा रहा/उनका उत्पीडन किया जा रहा/निस्सहाय/त्याग गया/खोया अथवा शोषित किया जा रहा पाया जाता है, तो रेलगाडी पर चल रहे टी.टी.ई. के साथ परामर्श करके उस बच्चे/बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।
- 6.2. बच्चे/बच्चों के साथ बालक-हितैषी तरीके से बातचीत करना तथा उन्हें डराने अथवा धमकाने के अंदाज में उनके साथ बात न करना।
- 6.3. बच्चे/बच्चों के विवरणों को दर्ज करना अर्थात् उसका नाम, आयु, माता-पिता/अभिभावकों/रिश्तेदारों के विवरण तथा उनके संपर्क फोन नम्बर/वह स्टेशन जहाँ से रेलगाडी में चढ़े हैं/गंतव्य स्टेशन/टिकट के विवरण, आदि।
- 6.4. उस अगले प्रमुख स्टेशन के स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, जी.आर.पी. और आर.पी.एफ. को सुरक्षा हैल्पलाइन/सुरक्षा नियंत्रण कक्षाओं के माध्यम से रेलगाडी पर सफर कर रहे ऐसे बच्चे/बच्चों के बारे में सूचित करना जहाँ पर रेलगाडी रुकने वाली है, ताकि वे रेलगाडी के आने वाले स्टेशन पर उस बच्चे/बच्चों को अपनी अभिरक्षा में लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकें तथा उस स्टेशन में उन्हें स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के समक्ष अथवा बाल सहायता समूह के अन्य सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।

7. रेलगाडी में चल रहे ट्रेन टिकट निरीक्षक टी.टी.ई. और टिकट कलक्टर टी.सी.

- 7.1. टी.टी.ई. तथा टी.सी. रेलवे के ऐसे कर्मचारी हैं जो रेलगाडियों में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर सकते हैं। उसे निम्नलिखित परिस्थितियों में सतर्क बना रहना चाहिए ताकि वे किसी भी हस्तक्षेप के लिए आवश्यकता का संकेत कर सकें:
 - (क). जब कभी बच्चों का कोई समूह रेलगाडी में चढ़ता है,
 - (ख). जब कभी एक अथवा दो व्यस्कों के साथ चार या पांच से अधिक बच्चे हों,
 - (ग). जब कभी कोई भी बच्चा/बच्चे अकेले यात्रा कर रहा/रहे हों,
 - (घ). जब कभी बच्चों के पास टिकट न हो तथा उन्हें अपने गंतव्य के बारे में पूरी जानकारी न हो अथवा जब कभी बच्चे अपने गंतव्य स्थल के बारे में विरोधाभासी जानकारी दें,
 - (ङ). जब कभी बच्चों को एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में निरंतर स्थानांतरित किया जा रहा हो।
 - (च). जब कभी बच्चों को आपस में अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति से बात करने की अनुमति न दी जा रही हो।

6. Duties of GRP/ RPF train escorting staff;

- 6.1. Keep unobtrusive surveillance on the suspected child/group of children travelling with or without any adult member and if found to be trafficked/ abused/ destitute/ abandoned/ lost or exploited children, shall consult with the TTE on board the train and take necessary action to protect the Child/Children.
- 6.2. Communicate with the Child/ Children in a child friendly manner and not in a threatening or intimidating manner.
- 6.3. Record the details of the Child/ Children, ie, name, age, details of parents/guardians/relatives and their contact phone numbers/ station where boarded / destination station/ details of ticket, etc.
- 6.4. Inform the SS/SM, GRP & RPF of the next major station in which the train halts, about such Child/ Children on board through Security Helpline/ Security Control Room, for taking action to receive the Child/ Children on the platform of arrival of the train and to produce them before the SM/SS or other members of the Child Help Group at that station.

7. Role of Travelling Train Ticket Examiner (TTE) and Ticket Collector (TC):

- 7.1. The TTE and the TC are officials of the railways who can identify children in need of care and protection in the trains. He shall remain vigilant with respect to the following situations that may indicate the need for an intervention:
 - (a). Whenever a group of children board train;
 - (b). Whenever there are more than four to five children accompanied by one or two adults;
 - (c). Whenever there is/ are an unaccompanied child/children;
 - (d). Whenever there are children without ticket and do not have proper information about the destination or whenever children give contradictory information about their destinations.
 - (e). Whenever children are being frequently shifted from one compartment to other;
 - (f). Whenever children are not allowed to talk to each other or to any other persons;

gourabhat *Rajiv Singh* *Rajiv Singh* *Neelam*

7.2. ऐसी परिस्थितियों में, टी.टी.ई./टी.सी. निम्नलिखित कार्रवाई करेगा :-

- (क). वह, बच्चे/बच्चों के पास जाएगा तथा बिना किसी उत्तेजना और क्रोध के एक बालक-हितैषी तरीके से बच्चे/बच्चों से उनके पतों और गंतव्य स्थल के बारे में पूछेगा,
- (ख). यह सुनिश्चित करेगा कि क्या बच्चे/बच्चों को मदद और सहायता की जरूरत है,
- (ग). यह सुनिश्चित करने के लिए, यथास्थिति, जी.आर.पी./आर.पी.एफ. को सूचित करेगा कि यदि यह संदेह होता है कि बच्चा/बच्चे घर से भाग गए हैं अथवा उसे/उन्हें त्याग दिया है अथवा बच्चे/बच्चों का अवैध व्यापार किया जा रहा है, तो टी.टी.ई./टी.सी. बच्चे/बच्चों को जी.आर.पी./आर.पी.एफ. को सौंप देगा जो आगामी विनिर्दिष्ट स्टेशन आने तक बच्चे/बच्चों को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में लेगा तथा वहां उसे बाल सहायता समूह को सौंप देगा।

8. प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन :

- 8.1. जी.आर.पी./आर.पी.एफ. के कार्मिकों सहित रेलवे कर्मचारियों के लिए बाल अधिकार और बाल संरक्षण पर प्रशिक्षण तथा प्रबोधन/जागरूकता कार्यक्रम आंचलिक और डिवीजनल स्तरों पर आयोजित किए जाने वाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा बनाए जाएंगे।
- 8.2. किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 जिसमें बाद में संशोधन किए गए थे तथा बच्चों से संबंधित अन्य विधान जैसे बच्चों का लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, आदि को आर.पी.एफ./जी.आर.पी. और रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों के प्रारंभिक/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों की पाठ्यक्रमों में अर्थपूर्ण रूप से सम्मिलित किया जाएगा।
- 8.3. विशिष्ट मुद्दों जैसे बच्चों का अवैध व्यापार, बाल उत्पीड़न और बाल शोषण का समाधान करने तथा रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य अधिक जागरूकता का सृजन करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान और बाल अधिकारों के क्षेत्र में कार्य कर रहे केन्द्रीय अथवा राज्य स्तरीय संस्थाओं, विशेषीकृत पुलिस एककों के साथ सहयोग करते हुए सभी स्तरों पर एक अथवा दो - दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए।

9. स्टेशन पर जागरूकता सामग्री :

- 9.1. रेलवे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चुने गए प्रमुख स्टेशनों पर सूचना प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान करेगा जिसमें उस स्टेशन पर बाल सहायता डेस्क के अवस्थान को दर्शाया गया होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इससे संबंधित सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आई.ई.सी.) सामग्री तैयार की जाएगी तथा उपलब्ध कराई जाएगी।

7.2. In such situations, the TTE/TC shall take the following action:

- (a). Approach the child/children and ask him /her/them about their address and destination in a child friendly manner without intimidation and threat;
- (b). Ascertain if the child/children need help and assistance;
- (c). Inform the GRP/RPF as the case may be to ensure that in case it is suspected that the child/children is/are runaway or is/are abandoned or is/are being trafficked, the TTE/TC shall hand over the child to GRP/RPF personnel who will take the child/children in safe custody till next designated station and hand over to Child Help Group.

8. Training and Sensitization:

- 8.1. Training and orientation/ sensitization programs on child rights and child protection for the railway employees including officials of the RPF/GRP shall be made a part of all training programs organized at Zonal and Divisional levels.
- 8.2. The Juvenile Justice (Care & Protection) Act 2000 with later amendments and other child related legislation such as the Protection of Children from Sexual Offences 2012, etc shall be meaningfully incorporated in the syllabus of initial/refresher courses of the RPF/GRP and Railway Training Institutions.
- 8.3. One or two day special training programs/ workshops may be conducted at all levels in collaboration with Ministry of Women and Child Development, NHRC, NCPCR, NIPCID and other Central or State level institutions working in the field of child rights, specialized police units, etc, to address specific issues, such as Child trafficking, Child Abuse and Child Exploitation to generate greater awareness among the railway officers and staff.

9. Awareness materials at the Station:

- 9.1. Railways shall permit display of information by Ministry of W&CD at identified major railway station indicating the location of Child Help desks at that station. Information, Education and Communication (IEC) material related to this will be developed and made available by National Commission for Protection of Child Rights.

S. Prasad *Rajiv* *Ch* *Nelam*

- 9.2. रेलवे सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के माध्यम से स्टेशनों पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के बारे में उद्घोषणाएं कराएगा जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा बाल सहायता डेस्क के अवस्थान तथा चाइल्डलाइन आपातकालीन नम्बर 1098 के बारे में होंगी ताकि हितधारक ऐसे बच्चों की पहचान करने में समर्थ हो सकें तथा उन बच्चों को रेलवे अथवा पुलिस अधिकारियों की जानकारी में ला दें।

10. डिवीजनल, जोन और रेलवे बोर्ड स्तर पर समन्वय अधिकारी :

- 10.1. ए.डी.आर.एम. डिवीजनल स्तर पर नोडीय (नोडल) अधिकारी होगा। उसे वरिष्ठ डी.सी.एम., वरिष्ठ डी.ई.एन.(समन्वय) तथा वरिष्ठ डी.एस.सी. से सहायता प्रदान कराई जाएगी।
- 10.2. ए.जी.एम. जोनल स्तर पर नोडीय (नोडल) अधिकारी होगा। उसे सी.सी.एम., पी.सी.ई. तथा सी.एस.सी. द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- 10.3. अपर सदस्य/वाणिज्यिक रेलवे बोर्ड स्तर पर नोडीय अधिकारी होगा उसे ई.डी.पी.एम., आई.जी./सी. एंड आई. तथा ई.डी./सी.ई.(जी) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

हस्ता / -

ई.डी.पी.एम.

हस्ता / -

ई.डी./सी.ई.(जी)

हस्ता / -

ई.डी./आई.आर.

हस्ता / -

आई.जी./सी. एंड आई.

-
- 9.2. Railways shall make announcements at stations through public address systems regarding material provided Ministry of W&CD regarding child in need of care and projection location of the Child help desk and the Child Line Emergency contact no 1098, to enable stakeholders to identify such children and bring them to the notice of the railway or police authorities.

10. Coordinating Officers at Division, Zone and Railway Board:


- 10.1 ADRM shall be the nodal officer at the Divisional level. He shall be assisted by Sr. DCM, Sr. DEN(Coordination) and Sr. DSC.
- 10.2. The AGM will be the Nodal Officer at the Zonal level. He will be assisted by CCM, PCE and CSC.
- 10.3. Additional Member/Commercial shall be the Nodal Officer at Railway Board level. He will be assisted by EDPM, IG/C&I and ED/CE(G).




EDPM



ED/CE(G)



ED/IR



IG/C&I

बच्चों के अधिकारों की निगरानी करने हेतु चयनित स्टेशनों की सूची :-

क्रमांक	रेलवे स्टेशन का नाम
1.	नई दिल्ली
2.	दिल्ली (मेन)
3.	हजरत निजामुद्दीन
4.	आनंद विहार टर्मिनल
5.	मुम्बई सैन्ट्रल
6.	छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुम्बई
7.	हावडा
8.	सियालदह
9.	नई जलपाईगुडी
10.	रांची
11.	चैन्नई सैन्ट्रल
12.	चैन्नई एगमोर
13.	लखनऊ / एन आर
14.	लखनऊ / एन ई आर
15.	गुहावटी
16.	बैंगलूरु सिटी
17.	पटना
18.	वाराणसी छावनी
19.	सिकन्दाबाद
20.	नागपुर

Annexure-I

LIST OF STATIONS SELECTED FOR MONITORING OF CHILD RIGHTS:

S. No.	Name of Railway Station
1.	NEW DELHI
2.	DELHI (MAIN)
3.	NIZAMUDDIIN
4.	ANAND VIHAR TERMINUS
5.	MUMBAI CENTRAL
6.	CST MUMBAI
7.	HOWRAH
8.	SEALDAH
9.	NEWJALPAIGUDI
10.	RANCHI
11.	CHENNAI CENTRAL
12.	CHENNAI EGMORE
13.	LUCKNOW/NR
14.	LUCKNOW/NER
15.	GUWAHATI
16.	BANGALORE CITY
17.	PATNA
18.	VARANASI CANTT.
19.	SECUNDERABAD
20.	NAGPUR

Nagendra Singh

[Signature]

Prakash
4.3.15

फार्म-1

रेलवे के सम्पर्क में आए बच्चों का विवरण

स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक एक प्रवेश पंजिका (रजिस्टर) बनाएगा तथा उस रजिस्टर में प्रत्येक मामले को दर्ज करेगा। विवरण इस प्रकार होगा:-

क्रम	विवरण
1.	बच्चे का नाम, लिंग एवं आयु
2.	पिता का नाम
3.	माता का नाम
4.	भाई-बहन का नाम एवं उनकी आयु
5.	पता - गाँव, पुलिस स्टेशन, जिला, राज्य के विवरण सहित
6.	बच्चे का फोटो
7.	बच्चे का स्वास्थ्य
8.	सामान की सूची
9.	बच्चे का घर छोड़ने का कारण क. परिवार में कलह ख. शिक्षा संबंधी ग. रोजगार संबंधी घ. कोई अन्य (निर्दिष्ट करें)
10.	बच्चा कैसे पाया गया - अकेला, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, किसी अजनबी के साथ आदि (कृपया विवरण दें)
11.	बच्चे को ट्रेन में पाये जाने के मामले में - पाये जाने की तिथि, समय तथा ट्रेन का नम्बर आदि। प्रत्येक बच्चे को प्राप्त करने एवं उसको छोड़ने की तिथि एवं समय भी अंकित करें।
12.	बच्चे अथवा बच्चों को भेजने/लाने वाले व्यक्ति का नाम एवं उसकी पहचान
13.	बच्चे अथवा बच्चों को सुपुर्दगी करने वाले व्यक्ति/रिश्तेदार का नाम, पदनाम एवं उससे बच्चे की रिश्तेदारी के विवरण सहित उस व्यक्ति की पहचान का विवरण अंकित करें
14.	बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने वाले अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, फोन नम्बर। प्रस्थान का समय तथा बाल कल्याण समिति को सौंपने का समय।
15.	कुल बच्चों को प्रवेशित करने तथा छोड़ने का प्रत्येक दिन का संक्षिप्त विवरण रिकार्ड में दर्ज करें।

Form I

Details of the Children in contact with Railways

The SM/SS should maintain an Admission Register and each case shall be recorded in the register. The details shall include.

S. No.	Description
(i)	Name, gender age of the child
(ii)	Father's Name
(iii)	Mother's Name
(iv)	Name and age of siblings
(v)	Address- Village, Police Station, District, State
(vi)	Photograph of the child
(vii)	Health of the child
(viii)	Inventory list
(ix)	Reasons for child leaving home (a) Family discord (b) Education related (c) Job related (d) Any other (pi specify)
(x)	Whether the child was found alone; with friends; with relatives; with unknown persons etc (pi provide details)
(xi)	In case the child was found in train, provide details of date, time and train number etc Date and time of receiving and discharging each child.
(xii)	Name and identity of the person who was referred the child or children.
(xiii)	Name of the person and designation or relations with the child whom child or children have been handed over with proof identity.
(xiv)	Name/ Designation/Office/Contact no of the official / person producing the Child before the CWG. Time of departure and time of handing over at CWC.
(xv)	A daily summary of the number of children admitted and discharged should be made records.

Ag. S. Singh

[Signature]

Prakash
4.3.15

फार्म-II

चाइल्ड हैल्प डैस्क के संयोजक द्वारा ए. डी. आर. एम. को जमा की जाने वाली मासिक समीक्षा रिपोर्ट का प्रारूप :-

क्रमांक	केस संख्या तिथि / समय / बचाने वाले व्यक्ति / परिस्थितियों आदि का संक्षिप्त विवरण	डिविजन / स्टेशन	रेलवे एवं बी एस एन एल का फोन नंबर	एन.जी.ओ. / चाइल्डलाईन के चाइल्ड हैल्प डैस्क / किऑस्क पर बच्चे / बच्चों को पहुँचाने की तिथि एवं समय	बच्चे की देखभाल करने पर अग्रदाय (इम्परेस्ट) से किए गए खर्च का विवरण

Form II -

Format of Monthly Review Report of convener of Child Help Desk to be submitted to ADRM.

Sl. No.	Case. No Brief Details of date/time/Rescuer/ circumstances, etc.	Division Station	Contact phone Nos. Railway & BSNL	Date & Time of producing the child/ children to the NGO/ Childline at Child Help Desk/Kiosk	Details of 1 expenditure incurred from imprest for taking care of the Child



लड़का
लड़की
एक
समान

सबको
शिक्षा
सबको
ज्ञान



राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS



महिला एवं बाल विकास मंत्रालय Ministry of Women and Child Development भारत सरकार Government of India



यदि आपको किसी भी रेलवे स्टेशन/रेल में कोई बच्चा ऐसे हालात में दिखे, जो : / If you come across a child in the trains/railway stations who :



- अकेला हो / is alone
- गुमशुदा प्रतीत हो / appears to be lost
- डरा-हुआ हो / looks scared
- रो रहा हो / is crying
- अथवा बच्चों का ऐसा समूह दिखाई दे जिसको 1-2 व्यक्ति ले जा रहे हों / or you find a group of children accompanied by 1-2 adults



इन बच्चों को आपकी मदद की जरूरत हो सकती है, ये बच्चे अपने परिवार से बिछड़े / भटके हुए / अपने घर से भागे हुए या अगवा / तस्करी किए हुए हो सकते हैं । / These children may be In need of your help as they may be lost, trafficked or may have run away from their homes.



ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए, आप : / To help these children, you can:

- 100 अथवा 1098 नम्बर डायल करें / Dial 100 or 1098
- स्टेशन मास्टर से सम्पर्क करें / Contact the Station master
- रेलवे स्टेशन पर या रेल में मौजूद किसी भी रेलवे पुलिस अधिकारी से सम्पर्क करें । / Contact the Railway Police official present on the train or railway station

ऐसे बच्चे की मदद करें जिसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है ।

HELP A CHILD IN NEED OF CARE AND PROTECTION:

चाइल्डलाइन सेवा 1098 का प्रयोग करें
USE CHILDLINE (1098) SERVICES

